/

पेरियासामी और ओ. आर. एस. बनाम

एस. नालासामी

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 456) 14 मार्च, 2019

/

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 319 – अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति-आवेदन यू/एस।319, आवेदन में अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में नामित अभियुक्त को समन करने के लिए-मजिस्ट्रेट द्वारा अअनुज्ञात , हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:यू/एस।319 अतिरिक्त अभियुक्त को केवल तभी तलब किया जा सकता है जब आरोप तय करने के समय प्रथम दृष्टया आवश्यक से अधिक मामला हो, लेकिन जो अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले मुकदमे के समापन के समय आवश्यक संतुष्टि से कम हो-तथ्यों पर, एफ. आई. आर. में या दर्ज किए गए बयानों में।161, अपीलार्थियों के नाम या कोई अन्य विवरण जो उनकी पहचान करने के लिए नहीं दिया गया है-एफ. आई. आर. में आरोप अस्पष्ट हैं-अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 147,448,294 (बी) और 506 के तहत अपराधों के लिए मुकदमे में खड़ा करने के लिए कोई मजबूत या ठोस सबूत नहीं है-अतिरिक्त अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 147,448,294 (बी) और 506 के तहत समन नहीं किया जा सकता है।319 मजबूत और ठोस साक्ष्य के अभाव में आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को केवल शिकायतकर्ता द्वारा जांचे गए कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर रद्द करने में गलती की-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त करते हुए दिया गया और निचली विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल कर दिया गया।

/

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** तत्काल मामला मूल रूप से एक वैवाहिक विवाद है**,** जिसमें शिकायतकर्ता पति ने पत्नी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। हालांकि प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि **15** महिलाएं और **35** पुरुष वाहनों से आए थे**,** लेकिन प्राथमिकी में अकेले **11** लोगों के नामों का खुलासा किया गया था। **[**पैरा **12] [1012-**ए**-**बी**]**

/

1.2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **161** के अंतर्गत दर्ज किए गए बयानों में**,** जांच के दौरान**,** शिकायतकर्ता और उसके गवाहों ने कोई अन्य खुलासा नहीं किया है।

/

1005 ए.

1006 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 2 एस. सी. आर.

एफ**.** आई**.** आर**.** में नामित **11** व्यक्तियों को छोड़कर। इस प्रकार**,** शिकायतकर्ता ने घर में अतिक्रमण या शिकायतकर्ता को धमकी देने में उनकी भूमिका के बारे में प्राथमिक सबूत के बिना संहिता की धारा **319** के अंतर्गत आवेदन दायर करते समय कई अन्य व्यक्तियों को शामिल करने की मांग की है।बड़ी संख्या में लोग शिकायतकर्ता के घर नहीं आएंगे और बिना कोई चोट पहुँचाए लौटेंगे क्योंकि कहा जाता था कि वे कौआ**,** चाकू और रिपर आदि जैसे हथियारों से लैस थे। **[**पैरा **13] [1012-**सी**-**डी**]**

/

1.3 प्रथम सूचना रिपोर्ट में या संहिता की धारा **161** के अंतर्गत दर्ज किए गए बयानों में**,** अपीलार्थियों के नाम या कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है ताकि उनकी पहचान की जा सके।एफ**.** आई**.** आर**.** में आरोप अस्पष्ट हैं और ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवरण के अभाव में किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है।अतिरिक्त अभियुक्त जिन गाँवों से संबंधित हैं**,** उनके संबंध में कोई दावा नहीं है।इसलिए**,** अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **147,448,294 (**बी**)** और **506** के अंतर्गत अपराधों के लिए मुकदमे में खड़ा करने के लिए कोई मजबूत या ठोस सबूत नहीं है। मजबूत और ठोस साक्ष्य के अभाव में अतिरिक्त अभियुक्त को संहिता की धारा **319** के अंतर्गत आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से तलब नहीं किया जा सकता है।संहिता की धारा **319** के अंतर्गत अतिरिक्त अभियुक्त को केवल तभी बुलाया जा सकता है जब आरोप तय करने के समय प्रथम दृष्टया आवश्यक से अधिक मामला हो**,** लेकिन जो अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले मुकदमे के समापन के समय आवश्यक संतुष्टि से कम हो।**[**पैरा **14] [1012-**ई**-**जी**]**

/

/

/

1.4 उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को केवल शिकायतकर्ता द्वारा जांचे गए कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर रद्द कर दिया।अपीलार्थियों के नामों का केवल खुलासा करना संहिता की धारा **319** के अंतर्गत अपराध के लिए मुकदमा लड़ने के लिए उन्हें मजबूर करने के लिए मजबूत और ठोस सबूत नहीं कहा जा सकता है**,** विशेष रूप से जब शिकायतकर्ता एक पति है और उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की है और जब पहले अवसर पर उनके नाम या अन्य पहचान का खुलासा नहीं किया गया था।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि में पोषणीय नहीं है और इसे दरकिनार कर दिया जाता है और निचली विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल कर दिया जाता है और संहिता की धारा **319** के अंतर्गत आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।**[**पैरा **15,16] [1012-**जी**,** एच**; 1013-**ए**,** बी**]** ए

/

/

/

1007

पेरियासामी और ओ. आर. एस. बनामएस. नालासामी

मनदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2014) 3** एस**.** सी**.** सी**. 92**

:[2014] 2 एस**.** सी**.** आर**. 1-**पर निर्भर।

लाभूजी अमृतजी ठाकुर और अन्य बनामराज्य की

गुजरात और अन्र. 2019 ए. आई. आर. 734-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

[2014] 2 एससीआर **1**

पर विश्वास किया

पैरा **10**

2019 एयर **734**

संदर्भित

पैरा **11**

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2019 की आपराधिक अपील संख्या 456।

/

2015 के आपराधिक आर. सी. सं. 346 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 28.08.2018 से।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. पार्थिबन, ए. एस. वैरावन, आर. सुधाकरन, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

एम. ए. चिन्नासामी, सुश्री सी. रुबावती, सुश्री लीला सर्वेश्वर, एस. पीर मोहम्मद, पी. राजा राम, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता**,** जे।

1. वर्तमान अपील मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा 28.08.2018 पर पारित एक आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके अंतर्गत जिला मुन्सिफ सह न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 द्वारा 27.02.2015 पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के अंतर्गत एक आवेदन को खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया गया था और अपीलार्थियों को आरोपी के रूप में आरोपित करने और विधि के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था।

/

/

2. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 147,448,294 (बी) और 506 के अंतर्गत अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट एस. नल्लासामी 3 द्वारा दायर एक रिट याचिका में मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुसरण में दर्ज की गई थी, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

/

3. शिकायतकर्ता ने वर्ष 1998 में थंगामणि से शादी की।आरोप है कि शिकायतकर्ता की पत्नी अपने पिता के घर में रहेगी।

1 मजिस्ट्रेट 2 कोड

3 शिकायतकर्ता ए

/

घर पर आम तौर पर और कभी-कभी वह सानरपालयम आती थी।उनकी एक बेटी है जिसका नाम लोगनिथ्या है।यह भी उल्लेख किया गया है कि उनकी पत्नी ने विभाजन का मुकदमा दायर किया था जिसे उनकी पत्नी और बेटी के उनके घर आने पर समझौते को देखते हुए खारिज कर दिया गया था।लेकिन फिर भी, उसकी पत्नी हर दिन झगड़ा करती थी।बेटी को पी. के. पी. स्वामी मैट्रिक स्कूल, कलानीपुरम में भर्ती कराया गया था, लेकिन पत्नी ने बेटी को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी और वह एलापायलायम चली गई।उसकी सास, ससुर और जीजा ने धमकी दी कि उनकी बेटी उसके साथ नहीं रहेगी और रुपये की मांग की। भरण-पोषण के लिए 30 लाख, अन्यथा वे उसके और उसकी माँ के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करेंगे।

/

4. आई. डी. 1 को लगभग आई. डी. 2 बजे, जब वह नंजप्पनगौंदनूर में घर में थे, उनके ससुर रामलिंगम, सास लक्ष्मी, बहनोई सेंथिलकुमार, पत्नी थंगामणि और अन्य रिश्तेदार (15 महिलाएं और 35 पुरुष) पंजीकरण संख्या वाली मारुति वैन नाम के वाहनों से आए। टीएन-33-एएस-5695, टाटा एसीई टीएन-33-एटी-4640 और टाटा 407 टीएई-9996 जबरन उनके घर में घुस गए और उन्हें डांटा।पुरुषों के पास कौआ, चाकू और रिपर आदि जैसे हथियार थे। उन्होंने एक लाख रुपये की मांग की। रखरखाव के लिए 30 लाख।समूह के लोगों में से एक ने उन्हें बात नहीं करने बल्कि मारने के लिए प्रोत्साहित किया।लोग दरांती और डंडे लेकर उनकी ओर दौड़े।सभी आरोपी घर को बंद करने के लिए चिल्लाते थे और टेंपो वैन में हल्दी के बंडल ले जाते थे।

/

/

/

5. इस तरह की प्राथमिकी के आधार पर, जांच अधिकारी ने 29.05.2011 पर शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया।लेकिन वर्तमान अपील में किसी भी अपीलार्थी का उल्लेख उक्त बयान में नहीं किया गया था।जाँच के दौरान जुड़े अन्य गवाहों के बयानों में भी, अपीलकर्ताओं के नामों का खुलासा नहीं किया गया था क्योंकि वे व्यक्ति जो समूह का हिस्सा थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिकायतकर्ता पर हमला किया और उसके घर में अतिक्रमण किया।जाँच पूरा होने के बाद, संहिता की धारा 173 के अंतर्गत 11 अभियुक्तों के खिलाफ 09.11.2011 पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी।6. शिकायतकर्ता ने संहिता की धारा 173 (8) के अंतर्गत आगे की जांच के लिए विद्वत निचली विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया।अभियुक्त द्वारा इस तरह के अनुरोध का इस आधार पर विरोध किया गया था कि भविष्य की जांच केवल जांच

अधिकारी द्वारा की जा सकती है न कि शिकायतकर्ता द्वारा।इस तरह का आवेदन 30.07.2013 पर खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, शिकायतकर्ता 26.12.2013 पर पीडब्लू1 के रूप में पेश हुआ, जिसमें अपीलकर्ताओं के नाम उस समूह के हिस्से के रूप में बताए गए जो उसके ए में घुस गया था।

/

/

/

1009

पेरियासामी और ओ. आर. एस. बनामएस. नल्लासामी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

घर में घुसकर उस पर हमला भी किया।अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू2 लोगनायगी (शिकायतकर्ता की मां), पीडब्लू3 मुरुगैयान और पीडब्लू4 जगदीशन (शिकायतकर्ता के पड़ोसियों) से भी पूछताछ की।

7. इसके बाद, आवेदन में नामित 20 अभियुक्त व्यक्तियों को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में समन करने के लिए संहिता की धारा 319 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया गया था।इस तरह के आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया था कि मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 2012 के आपराधिक ओ. पी. संख्या 1680 में शिकायतकर्ता द्वारा दावा की गई इसी तरह की राहत को 21.02.2012 पर खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, शिकायतकर्ता ने संहिता की धारा 173 (8) के अंतर्गत एक याचिका दायर की है जिसे 30.07.2013 पर खारिज कर दिया गया था।यह भी बताया गया है कि प्रस्तावित अभियुक्तों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकट नहीं किए गए थे और न ही जाँच के दौरान सामने आए थे।यह उक्त आधार पर है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने 27.02.2015 पर एक आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थियों को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाने से इनकार कर दिया गया।

/

/

8. विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने पाया कि प्रस्तावित अभियुक्त अलग-अलग गाँवों से हैं और लोक अभियोजक ने 20 प्रस्तावित अभियुक्तों के पिता का नाम और पते कैसे दिए हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

/

“6....शिकायत में ही उन 11 सदस्यों का उल्लेख किया गया है जिनके नाम अंतिम क्रम में थे और अन्य 15 महिलाओं और 35 पुरुषों और 3 वाहनों और दोपहिया वाहनों का उल्लेख किया

गया है।उसके आधार पर धारा 147,448,294 (बी), 506 (2) के अंतर्गत अंतिम आदेश प्रस्तुत किया गया है।हल्दी के बंडलों की चोरी की भी कोई शिकायत नहीं है।केवल 11 सदस्यों पर अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है।याचिकाकर्ता सहित कुल 6 गवाहों से पूछताछ की गई है। उनके सभी बयानों में केवल उन 11 सदस्यों के नामों का उल्लेख किया गया था।इसलिए अंतिम रिपोर्ट जमा करने की तारीख तक, अन्य 20 सदस्यों के बारे में कोई विवरण या जानकारी नहीं मिली है।

/

/

7....इसके अलावा आई. डी. 1 की धारा 319 के अंतर्गत जब मामला प्रगति पर होता है और किसी व्यक्ति पर उचित साक्ष्य या गवाह के साथ आरोप लगाया जाता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को आरोपी सूची में जोड़ने का आदेश दे सकती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और पूछताछ करने का आदेश दे सकती है।लेकिन किसी मामले में किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़ने के लिए केवल उस व्यक्ति का नाम और विवरण देना पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसने क्या अपराध किया है, इसका निश्चित रूप से उल्लेख करना होगा।संदेह के आधार पर न्यायालय उस व्यक्ति को अभियुक्त सूची में नहीं जोड़ सकती है। "

/

/

9. उक्त आदेश को शिकायतकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी।उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ संशोधन याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था किः

“8. मुकदमे के दौरान, वास्तव में शिकायतकर्ता/पीडब्लू. 1 ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2011 की सी. सी. संख्या 123 में दिखाए गए 11 नामित अभियुक्त व्यक्तियों के अलावा, 20 अन्य व्यक्ति भी अपराध में शामिल थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी 20 और व्यक्तियों का नाम लिया।पी. डब्ल्यू. 2 ने कहा है कि 11 नामित व्यक्तियों के साथ, 20 और व्यक्ति भी घटना स्थल पर आए थे, हालांकि, उन्होंने उनके नामों का उल्लेख नहीं किया।पी. डब्ल्यू. 3 ने कहा है कि आरोपी व्यक्तियों के अलावा 5 अन्य व्यक्ति भी घटना स्थल पर आए थे, हालांकि उन्होंने उनके नाम नहीं बताए हैं।पी. डब्ल्यू. 4 ने अपराध करने वाले कुछ व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया है।

/

/

9. पीडब्ल्यूएस के साक्ष्य से। 1 से 4 तक, यह बहुत स्पष्ट है कि 11 नामित अभियुक्तों के अलावा, कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी अपराध किया और जिला मुन्सिफ सह न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोडुमुडी, साक्ष्य और धारा 319 के दायरे पर विचार करने में विफल रहे। इसलिए, 2011 की सी. सी. संख्या 123 में वर्तमान अभियुक्त व्यक्तियों के अलावा, मामले में 20 और व्यक्ति/प्रस्तावित अभियुक्त भी शामिल हैं और इसलिए, उन्हें अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।इन परिस्थितियों अंतर्गत , (2017) 4 उच्चतम न्यायालय के मामलों 177, अमृतभाई शंभूभाई पटेल बनाम सुमनभाई कांतिभाई पटेल और अन्य अंतर्गत निर्णय , जिस पर प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। "

/

/

10. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील एक संविधान पर निर्भर करते हैं

इस न्यायालय के पीठ के निर्णय में**,** हार्डीप सिंह बनाम पंजाब राज्य **4** से

/

यह तर्क देते हुए कि किसी अभियुक्त को आरोपित करने के लिए संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक संतुष्टि का उपयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इस तरह से आवश्यक हैं।यह केवल तभी होता है जब न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस साक्ष्य होता है, ऐसी शक्ति का प्रयोग आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

/

“105. धारा 319 सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत शक्ति एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है।इसका प्रयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हैं।यह है।

4 (2014) 3 एससीसी 92 ए

/

1011

पेरियासामी और ओ. आर. एस. बनामएस. नल्लासामी [हेमंत गुप्ता, जे.]

प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है।केवल वहाँ जहाँ न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस साक्ष्य होता है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से।

/

106. इस प्रकार, हमारा मानना है कि हालांकि न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, आवश्यक रूप से प्रतिपरीक्षा के आधार पर परीक्षण नहीं किया जाता है, लेकिन इसके लिए उसकी संलिप्तता की केवल संभावना की तुलना में बहुत अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है।जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि होगी।इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में यह प्रावधान करने का उद्देश्य है कि "साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जो अभियुक्त नहीं है"

/

/

उन शब्दों से स्पष्ट है जिनके लिए ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है

अभियुक्त के साथ "।उपयोग किए गए शब्द ऐसे नहीं हैं जिनके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है।इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत कार्य करने वाली न्यायालय के लिए आरोपी के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। "

/

11. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील भी हाल ही में एक का उल्लेख करते हैं

लाभूजी अमृतजी ठाकुर और अन्य बनाम में इस न्यायालय का आदेश।राज्य

गुजरात और अन्र. 5, जहाँ, गवाह बक्से में कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने का आदेश इस कारण से दरकिनार कर दिया गया था कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत अपराध के बराबर अपीलार्थियों द्वारा किए गए किसी भी कार्य का सुझाव भी नहीं है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

/

“....न्यायालय को साक्ष्य के सार पर विचार करना होगा, जो उसके समक्ष आया है और जैसा कि संविधान पीठ द्वारा हार्डीप सिंह (उपरोक्त) में निर्धारित किया गया है, परीक्षण को लागू करना होगा, अर्थात, "आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक, लेकिन

इस हद तक संतुष्टि से कम है कि साक्ष्य, यदि निर्विवाद हो जाता है, तो दोषसिद्धि का कारण बन सकता है।"..."

/

5 2018 की आपराधिक अपील संख्या 1349,13.11.2018 A पर निर्णय लिया गया

/

1012 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 2 एस. सी. आर.

12. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और पाया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि में पोषणीय नहीं है।वर्तमान मामला मूल रूप से एक वैवाहिक विवाद है जिसमें पति, जो शिकायतकर्ता है, ने पत्नी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाए हैं।हालांकि प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि 15 महिलाएं और 35 पुरुष वाहनों से आए थे, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में अकेले 11 लोगों के नामों का खुलासा किया गया था।

/

13. जाँच के दौरान संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयानों में, शिकायतकर्ता और उसके गवाहों ने प्राथमिकी में नामित 11 व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य नाम का खुलासा नहीं किया है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने घर में अतिक्रमण या शिकायतकर्ता को धमकी देने में उनकी भूमिका के बारे में प्राथमिक सबूत के बिना संहिता की धारा 319 के अंतर्गत आवेदन दायर करते समय कई अन्य व्यक्तियों को शामिल करने की मांग की है।बड़ी संख्या में लोग शिकायतकर्ता के घर नहीं आएंगे और बिना कोई चोट पहुँचाए लौटेंगे क्योंकि कहा जाता था कि वे कौआ, चाकू और रिपर आदि जैसे हथियारों से लैस थे।

/

/

14. प्रथम सूचना रिपोर्ट में या संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयानों में, अपीलार्थियों के नाम या कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है ताकि उनकी पहचान की जा सके। एफ. आई. आर. में आरोप अस्पष्ट हैं और ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवरण के अभाव में किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है।अतिरिक्त अभियुक्त जिन गाँवों से संबंधित हैं, उनके संबंध में कोई दावा नहीं है।इसलिए, अपीलकर्ताओं को भारतीय निर्णय संहिता सी. की धारा 147,448,294 (बी) और 506 के अंतर्गत अपराधों के लिए मुकदमे में खड़ा करने के लिए कोई मजबूत या ठोस सबूत नहीं है।मजबूत और ठोस साक्ष्य के अभाव में अतिरिक्त अभियुक्त को संहिता की धारा 319 के अंतर्गत आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से तलब नहीं किया जा सकता है।संहिता की

धारा 319 के अंतर्गत अतिरिक्त अभियुक्त को केवल तभी बुलाया जा सकता है जब आरोप तय करने के समय प्रथम दृष्टया आवश्यक से अधिक मामला हो, लेकिन जो अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले मुकदमे के समापन के समय आवश्यक संतुष्टि से कम हो।

/

/

/

15. उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा जांचे गए कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर ही विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है।अपीलार्थियों के नामों का केवल खुलासा करना उन्हें संहिता की धारा 319 के अंतर्गत अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए मजबूत और ठोस सबूत नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से जब

/

1013

पेरियासामी और ओ. आर. एस. बनामएस. नल्लासामी [हेमंत गुप्ता, जे.]

शिकायतकर्ता एक पति है और उसने अपने ससुराल वालों के परिवार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की है और जब पहले अवसर पर उनके नाम या अन्य पहचान का खुलासा नहीं किया गया था।

16. नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और निचली विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल कर दिया जाता है और संहिता की धारा 319 के अंतर्गत आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।अपील की अनुज्ञात है।

/

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/

/